

डिसक्लेमर

परामर्श पत्र संख्या 03/2025-26 के मुख पृष्ठ, प्रस्तावना, प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों के पृष्ठ 1, 2, 81, 82 और 83 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।



भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) के लिए कैपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (केआईए), बैंगलोर में चतुर्थ नियंत्रण अवधि (1 अप्रैल 2026 - 31 मार्च 2031) के लिए ईंधन अवसंरचना प्रभार (एफआईसी) निर्धारित करने के मामले में।

जारी करने की तारीख : 17 जुलाई, 2026

तृतीय तल, उड़ान भवन
सफदरजंग हवाईअड्डा
नई दिल्ली

प्रस्तावना

प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र इंडियन ऑयल स्काईटैकिंग प्राइवेट लिमिटेड (आईओएसपीएल) द्वारा बैंगलुरु हवाईअड्डे पर इसकी फ्यूल फॉर्म सेवाओं के संबंध में प्रस्तुत बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव (एमवाईटीपी) के विस्तृत विश्लेषण के बाद जारी किया है। इस परामर्श पत्र में प्रस्तुत एमवाईटीपी में दिए गए विनियामक बिल्टिंग ब्लॉकों से संबंधित विभिन्न धारणाओं और अनुमानों को ध्यान में रखने के साथ-साथ पहले की नियंत्रण अवधि से संबंधित कम वसूली/अधिक वसूली को निकालने तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के पूर्वानुमान तैयार करने के लिए विनियामक बिल्टिंग ब्लॉकों का टू-अप निहित है। तदनुसार, टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं पर प्राधिकरण के प्रस्तावों को इस परामर्श पत्र में विस्तार से स्पष्ट किया गया है।

अतः ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक **17 जुलाई, 2026** के परामर्श पत्र संख्या **03/2026-27** पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां, अधिमानतः इलैक्ट्रॉनिक रूप में, निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी),
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, उड़ान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003

ई-मेल director-ps@aera.gov.in, satish.kr@aera.gov.in;

प्रतिलिपि : secretary@aera.gov.in; lakshmi.2025@aera.gov.in; asmita.manchanda@nic.in

हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	06 अगस्त, 2026
जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख	:	13 अगस्त, 2026

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/ जानकारी के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी), से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं।

11 प्राधिकरण के प्रस्तावों का सार

नीचे उल्लिखित सार में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारण संबंधी संगत अध्यायों के संबंध में चर्चा किए अनुसार विभिन्न विनियामक बिलडिंग ब्लॉकों से संबंधित प्राधिकरण के प्रस्ताव पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

अध्याय 2 : टैरिफ निर्धारण के लिए कार्यप्रणाली

2.2.1 चतुर्थ नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31) से संबंधित फ्यूल फार्म सेवाओं के संबंध में टैरिफ के निर्धारण के लिए "लागत प्लस" विनियामक दृष्टिकोण अपनाना।

अध्याय 3: तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर) का निर्धारण

3.17.1 तालिका 5 के अनुसार पूंजीगत परिवर्धनों को मानना ।

3.17.2 तालिका 9 के अनुसार वैमानिक मूल्यहास को मानना।

3.17.3 तालिका 11 के अनुसार आरएबी को मानना ।

3.17.4 तालिका 13 के अनुसार एफआरओआर को मानना।

3.17.5 तालिका 16 में दिए गए विवरण के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण खर्च को मानना।

3.17.6 तालिका 18 के अनुसार कराधान को मानना।

3.17.7 तालिका 20 के अनुसार एआरआर और कम वसूली को मानना तथा चतुर्थ नियंत्रण अवधि के एआरआर में इस कम वसूली को समायोजित करना।

अध्याय 4: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट (मात्रा)

4.3.1 तालिका 22 के अनुसार बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय, हवाईअड्डे पर आईओएसपीएल के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ईंधन थ्रू-पुट के पूर्वानुमान को मानना।

4.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक फ्यूल थ्रू-पुट के आधार पर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के संबंध में फ्यूल थ्रू-पुट को टूअप करना।

अध्याय 5: चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए पूंजीगत व्यय, मूल्यहास और विनियामक परिसंपत्ति आधार (आरएबी)

5.7.1 तालिका 28 के अनुसार आरएबी के पूंजीगत परिवर्धनों को मानना।

5.7.2 तालिका 31 के अनुसार मूल्यहास को मानना।

5.7.3 तालिका 33 के अनुसार औसत आरएबी को मानना।

5.7.4 चतुर्थ नियंत्रण अवधि के टू-अप कार्य के दौरान एआरआर/लक्षित राजस्व से अपूंजीकृत परियोजना लागत की 1% राशि समायोजित (कम) करना। परंतु यदि कोई विशिष्ट परियोजना टैरिफ आदेश में अनुमोदित कैपेक्स समय-सारणी के अनुसार किसी ऐसे कारण से पूंजीकृत नहीं होती है जो आईएसपी या उसकी संविदाकारी एजेंसी के नियंत्रण से बाहर है और इसे पर्याप्त ढंग से औचित्यपूर्ण बताया जाता है तो उसे उपयुक्त ढंग से मान लिया जाएगा।

5.7.5 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय लागत कार्यक्षमता और वहन किए गए कैपेक्स के औचित्य की शर्त पर वास्तविक आंकड़ों के आधार पर पूंजीगत व्यय, आरएबी को टू-अप करना।

अध्याय 6 : प्रथम नियंत्रण अवधि के लिए प्रतिलाभ की उचित दर (एफआरओआर)

6.3.1. तालिका 35 के अनुसार एफआरओआर को मानना

6.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय वास्तविक सीओडी या भारतीय स्टेट बैंक के एक (01) वर्ष की अवधि के औसत एमसीएलआर, जो भी कम हो, को ध्यान में रखकर चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए ऋण की लागत (एफआरओआर को टू-अप करने के प्रयोजन के लिए) को टू-अप करना।

अध्याय 7 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय

- 7.3.1 तालिका 44 के अनुसार प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को मानना।
- 7.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के प्रचालन एवं अनुरक्षण (ओ एंड एम) व्यय को टू-अप करना।

अध्याय 8 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कराधान

- 8.3.1 तालिका 46 के अनुसार बैंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आईओएसपीएल द्वारा प्रदान की जाने वाली फ्यूल फार्म सेवाओं के संबंध में चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक कर को मानना।
- 8.3.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वैमानिक कर को टू-अप करना।

अध्याय 9 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए कुल राजस्व अपेक्षा (एआरआर)

- 9.4.1 आईओएसपीएल के संबंध में तालिका 48 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए बेसलाइन एआरआर को मानना।
- 9.4.2 तालिका 49 के अनुसार 40-स्टैंड वाले हाइड्रेंट एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के पूरा होने और चालू होने आदि के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर वृद्धि संबंधी एआरआर को अतिरिक्त रूप से मानना।
- 9.4.2 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के एआरआर को टू-अप करना।

अध्याय 10 : चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए वैमानिक राजस्व

- 10.3.1 आईओएसपीएल के संबंध में तालिका 53 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के लिए फ्यूल फॉर्म सेवाओं (एफआईसी) के लिए टैरिफ को मानना।
- 10.3.2 आईओएसपीएल के लिए तालिका 54 के अनुसार चतुर्थ नियंत्रण अवधि के संबंध में फ्यूल फॉर्म सेवाओं (एफआईसी) से प्राप्त वैमानिक राजस्व को मानना।
- 10.3.3 पंचम नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ निर्धारित करते समय चतुर्थ नियंत्रण अवधि के वैमानिक राजस्व को टू-अप करना।

12 हितधारकों से परामर्श की समय-सीमा

- 12.1 ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधान के अनुसार इस परामर्श पत्र के अन्य अध्यायों की संगत चर्चा के साथ पठित अध्याय 11- प्रस्तावों का सार' में निहित प्रस्ताव एतद्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है।
- 12.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय-वस्तु का प्राधिकरण द्वारा जारी किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में पूर्ण रूप से लिखित रूप में प्रमाणित और स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।
- 12.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 11 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 06.08.2026 तक निम्नलिखित पते पर भेज दिया जाए।

सचिव,
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण,
तृतीय तल, उडान भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली –110003.
टेलिफोन 011-24695048

(अध्यक्ष)



